न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपीलसंख्या 05/2019 जिला सीकर ।

1. मोहन लाल
2. गोपाल सिंह
3. नागरमल
   पुत्रान घासी
4. जीबू पत्नी घासी
5. सागरमल पुत्र घासी

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर ।
2. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर ।
3. ग्राम पंचायत रोयल जरिये सरपंच तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 14.05.2018 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सुबोध जैन।
2. रेस्पोडेंट 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–10.03.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 14.05.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.02.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार खण्डेला ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2018/867 दिनाक 02.04.2018 के द्वारा ग्राम कंवरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 629/212 एवं 628/212 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम कंवरपुरा के खसरा नम्बर 629/212 एवं 628/212 में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खाजेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिना सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के निर्णय दिनांक 14.05.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटन संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पोडेंट 1 एवं 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटस को सुने प्रश्नागत आदेश पारित किया गया हैं। नक्श ट्रेस साबिका में पूर्व में ही ग्राम कंवरपुरा से अगलाई को जाने के लिये रास्ता मौजूद है रास्ता कटा हुआ है जो वर्तमान में चालू है। फिर नये सिरे से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

शोर्ट कट के लिहाज से अपीलांट्स के खाते व कब्जे की भूमि कम करके नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का कोई औचित्य नही है। खातेदारी में भूमि रास्ता निकाले जाने के नियम 251(1), 251(2) आर.टी. एक्ट में प्रचलित है। जिनके तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर मुआवजा तय कर आपसी सहुलियत व समझाईश से रास्ता निकाला जा सकता है। प्रश्नाधीन आदेश जिन प्रावधानो तथा प्रकिया का हवाला देकर पारित किया है उनमें कही पर भी यह नही है कि वर्तमान मौके की स्थिति के विपरीत किसी को फायदा पहुचाने के लिये बिना नोटिस सुनवाई के रास्ते की तरमीम नक्शे में कर दी जावे। प्रश्नाधीन आदेश से पूर्व में रास्ते का प्रचलन या सार्वजनिक आवागमन के लिये होना लिखा है जो गलत है। क्योंकि अपीलांट के खाते व कब्जे की भूमि में आवागमन के लिये मेड के रूप में रास्ता है जिसे सार्वजनिक नही कहा जा सकता हैं । ग्राम पंचायत से वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट लिये बगैर दीगर खातेदारो से रास्ते के मुतालिक कोई जानकारी नही ली जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 14.05.2018 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2018 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 17.02.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम कंवरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 629/212 एवं 628/212 के खातेदारो की भूमियों में से होकर प्रचलित रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 02.04.2018 को तहसीलदार खण्डेला ने रिपोर्ट पटवारी हल्का रोयल, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 02.04.2018 के अनुसार ग्राम कंवरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 629/212 रकबा 1.75 है0 में से 0.0130 है0 एवं खसरा नम्बर 928/212 रकबा 4.89 है0 में से 0.07 है0 रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस व जमाबंदी संलग्न कर तहसीलदार खण्डेला द्वारा उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 पारित किया गया है। तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर द्वारा उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 14.05.2018 में भी अंकित किया गया है कि ग्राम कंवरपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 629/212 एवं 628/212 में से प्रचलित रास्ता है। पुराने प्रचलित रास्ते को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

अनुपालना में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की गई है। भूमि के खातेदारी अधिकारो में कोई परिवर्तन नही किया गया है। काफी अर्से से खेती नही किये जाने के कारण तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि को किस्म परिवर्तन कर वार्षिक अभिलेखो में दर्ज किया जाना राजस्व अधिकारी का कर्तव्य है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner